छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ–5–24/2020/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर,दिनांक 17/03/2021

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छ.ग. अरण्य भवन,
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषयः– आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), रायपुर द्वारा कोरिया जिले के कोरिया वनमंडल अंतर्गत भारत नेट प्रोजेक्ट Phase-II के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 4.746 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भः– 1.भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009।
2.भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004।
3.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–816/1674, रायपुर दिनांक 14.09.2020 तथा पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–816/2241,रायपुर दिनांक 09.12.2020 एवं पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–816/491,रायपुर दिनांक 17.02.2021।

---000---

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। जिसमें प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति प्रदाय कर ने की अनुशंसा की गई है।

आपके प्रस्ताव पर भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-/98/FC दिनांक 16.10.2000, पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009, पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 एवं पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004 में निहित प्रावधानो के अंतर्गत विचारोपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा निम्न तालिका में दर्शित विवरण अनुसार :–

तालिका

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (कि.मी.)	चौड़ाई (मी.)	रकबा (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कोरिया	कोरिया	खडगवॉ	बंजारीडांड आ.वन	आरक्षित वन	651	1.642	0.5	0.082
2			खडगवॉ	बंजारीडांड आ.वन	आरक्षित वन	652	1.922	0.5	0.096
3			खडगवॉ	बंजारीडांड आ.वन	आरक्षित वन	653	1.001	0.5	0.050
4			खडगवॉ	कोड़ा आ.वन	आरक्षित वन	595	1.893	0.5	0.095
5			खडगवॉ	कोड़ा आ.वन	आरक्षित वन	608	0.577	0.5	0.029
6			खडगवॉ	केलुवा आ.वन	आरक्षित वन	625	0.325	0.5	0.016
7			खडगवॉ	केलुवा आ.वन	आरक्षित वन	626	1.117	0.5	0.056
8			खडगवॉ	केलुवा आ.वन	आरक्षित वन	629	2.008	0.5	0.100
9			खडगवॉ	केलुवा आ.वन	आरक्षित वन	631	1.084	0.5	0.054
10			खडगवॉ	केलुवा आ.वन	आरक्षित वन	633	2.411	0.5	0.121
11			खडगवॉ	केलुवा आ.वन	आरक्षित वन	635	3.404	0.5	0.170
12			खडगवॉ	पाराडोल आ.वन	आरक्षित वन	584	0.566	0.5	0.028
13			बैकुंठपुर	कटघोड़ी आ.वन	आरक्षित वन	456	0.59	0.5	0.029
14			बैकुंठपुर	कटघोड़ी आ.वन	आरक्षित वन	460	0.116	0.5	0.006
15			बैकुंठपुर	कटघोड़ी आ.वन	आरक्षित वन	461	0.385	0.5	0.0195
16			बैकुंठपुर	कटघोड़ी आ.वन	आरक्षित वन	463	0.547	0.5	0.027

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (कि.मी.)	चौड़ाई (मी.)	रकबा (हे.)
17	कोरिया	कोरिया	चिरमिरी	बंजारीडांड आ.वन	आरक्षित वन	564	1.266	0.5	0.063
18			चिरमिरी	बंजारीडांड आ.वन	आरक्षित वन	569	2.54	0.5	0.127
19			चिरमिरी	बंजारीडांड आ.वन	आरक्षित वन	570	0.336	0.5	0.017
20			चिरमिरी	बंजारीडांड आ.वन	आरक्षित वन	572A	2.464	0.5	0.124
21			चिरमिरी	बंजारीडांड आ.वन	आरक्षित वन	572B	2.713	0.5	0.135
22			चिरमिरी	बुन्दिरा वहरा आ.वन	आरक्षित वन	545	0.642	0.5	0.032
23			चिरमिरी	कलुवा आ.वन	आरक्षित वन	577	2.306	0.5	0.115
24			चिरमिरी	कलुवा आ.वन	आरक्षित वन	578	0.748	0.5	0.037
25			चिरमिरी	कलुवा आ.वन	आरक्षित वन	579	0.877	0.5	0.044
26			चिरमिरी	कलुवा आ.वन	आरक्षित वन	580	0.628	0.5	0.031
27			चिरमिरी	पाराडोल आ.वन	आरक्षित वन	554	0.492	0.5	0.025
28			चिरमिरी	पाराडोल आ.वन	आरक्षित वन	560B	1.302	0.5	0.065
29			सोनहत (पी)	बेलिया आ.वन	आरक्षित वन	244	0.009	0.5	0.0005
30			सोनहत (पी)	बेलिया आ.वन	आरक्षित वन	245	1.081	0.5	0.054
31			सोनहत (पी)	सोनहत आ.वन	आरक्षित वन	254	0.157	0.5	0.008
32			देवगढ़	केवराबहरा आ.वन	आरक्षित वन	410	0.856	0.5	0.043
33			देवगढ़	केवराबहरा आ.वन	आरक्षित वन	411	1.986	0.5	0.099
34			देवगढ़	केवराबहरा आ.वन	आरक्षित वन	412	1.084	0.5	0.054
35			देवगढ़	कैलासपुर आ.वन	आरक्षित वन	368	2.366	0.5	0.118
36			देवगढ़	परगरगवां आ.वन	आरक्षित वन	365	0.738	0.5	0.037
37			देवगढ़	परगरगवां आ.वन	आरक्षित वन	366	0.225	0.5	0.011
38			देवगढ़	सोनारी आ.वन	आरक्षित वन	417	2.052	0.5	0.103
39			देवगढ़	सोनारी आ.वन	आरक्षित वन	419	1.399	0.5	0.070
40			देवगढ़	लटमा आ.वन	आरक्षित वन	421	0.364	0.5	0.018
41			देवगढ़	लटमा आ.वन	आरक्षित वन	422	0.465	0.5	0.023
आरक्षित वन भूमि का योग							**48.684**	**0.5**	**2.432**
42	कोरिया	कोरिया	खडगवॉ	खडगवॉ सं.वन	संरक्षित वन	P638	1.009	0.5	0.050
43			खडगवॉ	खडगवॉ सं.वन	संरक्षित वन	P640	5.239	0.5	0.263
44			खडगवॉ	खडगवॉ सं.वन	संरक्षित वन	P642	0.147	0.5	0.007
45			खडगवॉ	बोड़ेमुण्डा सं वन	संरक्षित वन	P644	0.889	0.5	0.044
46			खडगवॉ	कोटेया सं.वन	संरक्षित वन	P645	1.147	0.5	0.057
47			खडगवॉ	कटकोना सं वन	संरक्षित वन	P620	1.976	0.5	0.099
48			खडगवॉ	रटबा सं.वन	संरक्षित वन	P589	1.518	0.5	0.076
49			खडगवॉ	रटबा सं.वन	संरक्षित वन	P590	1.199	0.5	0.060
50			खडगवॉ	दुबछोला सं.वन	संरक्षित वन	P641	0.541	0.5	0.027
51			खडगवॉ	चोपन सं.वन	संरक्षित वन	P649	1.391	0.5	0.070
52			खडगवॉ	नशेलपुर सं.वन	संरक्षित वन	P660	0.292	0.5	0.015
53			खडगवॉ	अंजनीपुर सं वन	संरक्षित वन	P643	0.59	0.5	0.030
54			खडगवॉ	लकडापारा सं.वन	संरक्षित वन	P624	0.974	0.5	0.049
55			खडगवॉ	लोटाबहरा सं वन	संरक्षित वन	P661	0.56	0.5	0.028
56			चिरमिरी	कदरेवा सं.वन	संरक्षित वन	P563	0.737	0.5	0.037
57			चिरमिरी	महामाया सं.वन	संरक्षित वन	P575	0.748	0.5	0.037
58			चिरमिरी	रिसाघाट सं.वन	संरक्षित वन	P576	0.896	0.5	0.045
59			चिरमिरी	जुडवानिया सं.वन	संरक्षित वन	P546	0.213	0.5	0.011

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (कि.मी.)	चौड़ाई (मी.)	रकबा (हे.)
60	कोरिया	कोरिया	सोनहत (पी)	रजौली सं.वन	संरक्षित वन	P259	1.276	0.5	0.064
61			सोनहत (पी)	अमहर सं.वन	संरक्षित वन	P257	3.401	0.5	0.170
62			सोनहत (पी)	अमहर सं.वन	संरक्षित वन	P258	1.176	0.5	0.059
63			देवगढ़	घुघरा सं वन	संरक्षित वन	P416	0.423	0.5	0.021
64			देवगढ़	बसवाही सं.वन	संरक्षित वन	P345	1.704	0.5	0.085
65			देवगढ़	बसवाही सं.वन	संरक्षित वन	P420	0.34	0.5	0.017
66			देवगढ़	कावरडांड सं वन	संरक्षित वन	P415	1.09	0.5	0.055
67			देवगढ़	कैलासपुर सं वन	संरक्षित वन	P370	0.227	0.5	0.011
68			देवगढ़	पाराडोल सं वन	संरक्षित वन	P344	1.051	0.5	0.053
69			देवगढ़	दामुज सं वन	संरक्षित वन	P414	0.694	0.5	0.035
70			देवगढ़	दुलहीधार सं वन	संरक्षित वन	P408	1.131	0.5	0.057
71			देवगढ़	तर्रा सं वन	संरक्षित वन	P374	1.307	0.5	0.066
72			देवगढ़	तर्रा सं वन	संरक्षित वन	P376	2.306	0.5	0.115
73			देवगढ़	तर्रा सं वन	संरक्षित वन	P378	2.45	0.5	0.123
74			देवगढ़	तर्रा सं वन	संरक्षित वन	P379	2.179	0.5	0.109
75			देवगढ़	तर्रा सं वन	संरक्षित वन	P381	0.49	0.5	0.024
76			देवगढ़	तर्रा सं वन	संरक्षित वन	P383	0.015	0.5	0.001
77			देवगढ़	तर्रा सं वन	संरक्षित वन	P385	0.696	0.5	0.035
78			देवगढ़	तर्रा सं वन	संरक्षित वन	P386	1.979	0.5	0.099
79			देवगढ़	तर्रा सं वन	संरक्षित वन	P405	0.882	0.5	0.044
संरक्षित वन भूमि का योग							**44.883**	**0.5**	**2.248**

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (कि.मी.)	चौड़ाई (मी.)	रकबा (हे.)
1	कोरिया	कोरिया	सोनहत	बसवाही	राजस्व वन	64	0.081	0.5	0.004
2			सोनहत	बसवाही	राजस्व वन	104	0.07	0.5	0.003
3			सोनहत	बसवाही	राजस्व वन	105	0.052	0.5	0.003
4			सोनहत	भुंइहारीपारा	राजस्व वन	78	0.057	0.5	0.003
5			सोनहत	भुंइहारीपारा	राजस्व वन	74	0.17	0.5	0.008
6			सोनहत	तर्रा	राजस्व वन	170	0.049	0.5	0.002
7			खड़गवॉं	खड़गवॉं	राजस्व वन	408	0.054	0.5	0.003
8			खड़गवॉं	रतनपुर	राजस्व वन	105	0.197	0.5	0.010
9			खड़गवॉं	रतनपुर	राजस्व वन	130	0.107	0.5	0.005
10			खड़गवॉं	रतनपुर	राजस्व वन	750	0.03	0.5	0.002
11			खड़गवॉं	रतनपुर	राजस्व वन	757	0.167	0.5	0.008
12			खड़गवॉं	आमाडांड	राजस्व वन	291	0.13	0.5	0.006
13			खड़गवॉं	आमाडांड	राजस्व वन	273	0.068	0.5	0.003
14			खड़गवॉं	आमाडांड	राजस्व वन	356	0.027	0.5	0.001
15			खड़गवॉं	आमाडांड	राजस्व वन	342	0.097	0.5	0.005
राजस्व वन भूमि का योग							**1.356**	**0.5**	**0.066**
कुल योग							**94.923**	**0.5**	**4.746**

उक्त 94.923 कि.मी. लंबे तथा 0.50 मीटर चौड़े वन क्षेत्र कुल 4.746 हे. वन भूमि (आरक्षित वन भूमि 2.432 हे., संरक्षित वन भूमि 2.248 हे.एवं राजस्व वन भूमि 0.066 हे.) में भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर, छत्तीसगढ़ को वन भूमि उपयोग पर देने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाती है :–

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।
2. प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नही किया जायेगा ।
3. ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।
4. उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौडाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी। वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुचें, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में बिना मशीनों का उपयोग किये मजदूरों के द्वारा खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा ।
5. स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके।
6. उपरोक्त लाईन, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्य के बाहर, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई कें अंतर्गत ही बिछाई जावेगी ।
7. आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात, उपयोग किये गये भूमि का उपयोग/रखरखाव के खर्चे को वहन करने हेतु, वचनबद्ध रहेगा ।
8. आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा।
9. आवेदक संस्थान रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा ।
10. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नही किया जायेगा ।
11. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों एवं शर्तो का पालन किया जाएगा ।
12. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट, भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को प्रेषित करेंगे ।
13. बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को निवेदन करेंगे।

14. क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय–समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्ही शर्तो के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा ।

15. प्रकरण में कलेक्टर का वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत् संशोधित प्रमाण पत्र जिसमें आवेदित रकबा 4.746 हे. उल्लेखित हो प्रथम चरण अनुमति के पालन प्रतिवेदन के साथ औपचारिक अनुमति के पूर्व अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) द्वारा अनिवार्यतः प्रेषित किया जायेगा।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) से उपरोक्त शर्तों की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इस प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2 के अंतर्गत औपचारिक अनुमोदन इस विभाग द्वारा प्रदान किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,

Rajput 16.3.21
(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक/एफ- 5–24/2020/10-2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 17/03/2021
प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे0), भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़।
3. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर छत्तीसगढ़।
4. वनमंडलाधिकारी, कोरिया वनमंडल छत्तीसगढ़।
5. आवेदनकर्ता, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन, रायपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

Rajput 16.3.21
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग